

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 808

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

### आदेश

निम्नलिखित व्याख्याताओं का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम (डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री)	विषय	राजकीय महाविद्यालय (कहाँ से)	राजकीय महाविद्यालय (कहाँ को)
1	इरविन्दर कौर (RVRES)	वनस्पति शास्त्र	सरदारशहर	सुरतगढ
2	महेन्द्र कुमार राकां (RVRES)	ई.ए.एफ.एम.	सोजत सिटी	नसीराबाद
3	रविशंकर व्यास (RVRES)	ई.ए.एफ.एम.	रतनगढ चुरु	नौखा
4	रश्मि भटनागर (RVRES)	अंग्रेजी	सरवाड कन्या	पुष्कर
5	डॉ. शोभा भाटिया (RVRES)	हिन्दी	मालपुरा	जमवारामगढ
6	दीपा कौशिक (RVRES)	इतिहास	राजगढ चुरु	राजगढ कन्या
7	राजेन्द्र कुमार पण्डया (RVRES)	भौतिक शास्त्र	चौमू कन्या	केकडी

4  
(प्रदीप कुमार बोरड)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं  
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.1(01)स्था/HRD/आकाशि/2019/ 808

दिनांक: 29 सितम्बर 2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्यमंत्री उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप संख्या वि. सं./रा.म./उ.शि./2019/2057 दिनांक 29.09.2019 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त व्याख्याता को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी hrd.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें।
5. सम्बन्धित व्याख्याता को पालनार्थ।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालय की ई-मेल आई.डी.पर प्रेषित करें।
7. स्थापना शाखा/कम्प्यूटर शाखा/रक्षित पत्रावली।

(जैनाराम नागौरा)

संयुक्त निदेशक(HRD)  
कॉलेज शिक्षा, राज.जयपुर